राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपरा, पटना – 14

ऑनलाईन आवेदन आमंत्रण सूचना

विशेषज्ञ चिकित्सकों के संभावित संविदागत रिक्त पदों पर चयन/नियुक्ति किये जाने के उद्देश्य से पैनल निर्माण करने हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रण

राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों यथा सदर अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों, रेफरल अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संविदागत विशेषज्ञ चिकित्सक की संभावित रिक्तियों के विरूद्ध चयन/नियुक्ति करने के उद्देश्य से पैनल निर्माण करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सुयोग्य उम्मीदवारों से इस विज्ञापन के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र आमंत्रित करती है –

क्र0	पद का नाम	योग्यता/अर्हत्ता	एकमुश्त मानदेय (प्रतिमाह)
1.	**विशेषज्ञ चिकित्सक** (औषधि, शिशु, स्त्री/प्रसव, सर्जरी, मुर्छक, आँख, हड्डी, त्वचा, कान–नाक–गला (ई०एन०टी०), मानसिक रोग, पैथोलॉजिस्ट इत्यादि)	(1) किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से एम० बी० बी० एस० डिग्री के साथ स्नातकोत्तर शिक्षा (औषधि, शिशु, स्त्री/प्रसव, सर्जरी, मुर्छक इत्यादि) में डिग्री/डिप्लोमा तथा बिहार एवं उड़ीसा मेडिकल एक्ट 1916 के अन्तर्गत स्थायी रूप से निबंधित। (2) भारतीय चिकित्सा परिषद एवं सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान में 12 माह का अनिवार्य इन्टर्नशीप प्रशिक्षण अनिवार्य है। इन्टर्नशीप में किसी भी कारण से एक दिन का भी टूट मान्य नहीं होगा। (3) बिहार राज्य चिकित्सा परिषद् से स्थायी निबंधन होना अनिवार्य।	40,000

सामान्य निर्देश

1. **सरकारी प्रावधानों के तहत् राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार संविदागत नियुक्ति के अनुभव की मान्यता/प्राथमिकता नियमित नियुक्ति के समय दी जाएगी।** नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। संतोषजनक कार्य मूल्यांकन उपरांत संविदा को अगले 3 वर्षों के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति कभी भी विधिसम्मत तरीके से संविदा समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
2. **उम्रसीमा** – स्वास्थ्य विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक – 342(2), दिनांक 21.03.2011 द्वारा कार्यहित में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्रसीमा में सभी वर्गों के लिए समान रूप से सिर्फ एक बार के लिए तीन वर्षों की छूट देने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। इस छूट के बाद दिनांक 01.12.2013 को अधिकतम उम्रसीमा निम्न प्रकार होगी –
   (क) अनारक्षित वर्ग – 40 वर्ष
   (ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग – 43 वर्ष
   (ग) महिला (अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग) – 43 वर्ष
   (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 45 वर्ष

   कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

   कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।
3. बिहार सरकार के नियमानुसार आरक्षण रोस्टर लागु होगा।
4. **इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट www.statehealthsocietybihar.org के HR Cell के लिंक पर ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे।** दूसरे माध्यम से समर्पित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार किसी एक पद अथवा उपरोक्त सभी पदों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
6. **पैनल निर्माण का आधार** : एम०एस०/एम०डी०/अन्य विधा में स्नात्तकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के प्राप्तांक के आधार पर ग्रेडिंग।
7. निर्मित पैनल दिनांक 31.03.2015 तक प्रभावी रहेगा।
8. रिक्ति उपलब्ध रहने पर इस पैनल से विशेषज्ञतावार चिकित्सकों को सरकार के आरक्षण नियमों का पालन करते हुए संविदा पर चयन किया जाएगा।

9. 'Hard to reach' एवं 'difficult areas' में पदस्थापन होने पर अतिरिक्त मानदेय देने का प्रावधान सरकार के विचाराधीन है। उक्त प्रस्ताव के स्वीकृत होने पर सामान्य एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों को 'Hard to reach' एवं 'difficult areas' में पदस्थापन होने पर अतिरिक्त मानदेय देय हो सकेगा।
10. इच्छुक अभ्यर्थी भविष्य में पदस्थापन हेतु **5 (पाँच) प्रमंडलों के नाम** ऑनलाईन आवेदन में अंकित करेंगे। स्वास्थ्य विभाग, बिहार भविष्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदस्थापन में place of choice को स्वीकृत कर सकती है। हालॉकि इससे किसी भी प्रकार के दावा का सृजन नहीं होगा।
11. ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति उपरांत पैनल निर्माण किया जाएगा, जिसके पश्चात् Place of choice के आधार पर केन्द्रीयकृत पदस्थापन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी पदस्थापन किए गए स्थान पर निर्धारित तिथि को Bar Coded Acknowledgement Card (सफलतापूर्वक निबंधन होने के पश्चात् निकाले गये Print out) तथा सभी मूल कागजातों के साथ संबंधित जिला में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि की घोषणा अलग से की जाएगी।

ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 20/12/2013 (अप० 5 बजे तक)

कार्यपालक निदेशक